संख्या:24/2024/781 ई-2/तेरह-2024-1628362

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 12 सितम्बर, 2024

विषयः- मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, ग्राम-कन्दुनी, तहसील-बिसवां, जनपद सीतापुर में 400 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1400 लाख लीटर वार्षिक क्षमता की डुअल मोड अर्थात शीरे एवं अनाज पर आधारित मिश्रित (पेय एवं औद्योगिक) आसवनी स्थापना हेतु प्रदत्त अनुमति में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-22/नौ अल्कोहल/24/सी.एल.बी.-1/2022-23/ रेडिको-सीतापुर, दिनांक 16-07-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 20-08-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:736ई-2/तेरह-2024-1628362, दिनांक 27-08-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 16-07-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं आद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 06.06.2022 द्वारा प्रदत्त अनुमति को संशोधित करते हुए मेसर्स रेडिको खेतान लिमिटेड, ग्राम-कन्दुनी, तहसील-बिसवां, जनपद सीतापुर द्वारा 400 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 1400 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की केवल अनाज पर आधारित मिश्रित (पेय एवं औद्योगिक) आसवनी, जिसके अन्तर्गत ग्रेन से ई.एन.ए. एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन करते हुये 800 लाख लीटर वार्षिक पेय मदिरा तथा शेष 600 लाख लीटर वार्षिक एथनॉल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुये उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या:33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टलक्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानको का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) आसवक द्वारा नियमानुसार टैंकों में मास फ्लो मीटर, राडार बेस्ड लेवल इन्डीकेटर तथा इलेक्ट्रानिक बॉटल काउन्टर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(6) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

(7) आबकारी आयुक्त द्वारा इस संदर्भ में लागू अन्य समस्त सुसंगत नियमों/ नियमावलियों व शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

(8) आबकारी आयुक्त द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाने से पूर्व संबंधित जिलाधिकारी से इकाई की सरकारी बकाया न होने से संबंधित आख्या/प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(9) इकाई द्वारा समयान्तर्गत शीरा आधारित संयत्र एवं मशीनरी की स्थापना न किये जाने के कारण इकाई को पीडी-33 के अन्तर्गत सी.एल.बी.-1 (देशी मदिरा बोतल भराई हेतु अनुज्ञापन) हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा नियमानुसार शासकीय हितों के दृष्टिगत शुल्क/जुर्माना अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्याः24/2024/781(1)ई-2/तेरह-2024,तद्दिनांकः-

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in